उपायुक्त का न्यायालय, गोड्डा।

आर0 एम0 ए0 नं0-60/2018-19

ध्रुवलाल मोदी

बनाम्

चुनू कोड़ा वगैरह

-: आदेश :-

नांक 25.06.21

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना। अभिलेखबद्ध कागजातों का अवलोकन किया।

वर्तमान अपील वाद की प्रक्रिया अपीलकर्त्ता ध्रुवलाल मोदी, पे0–स्व0 जगन कोड़ा, सा0–लावाभूजौनी, अंचल–बोआरीजोर, जिला–गोड्डा के अपील आवेदन के आधार पर प्रारम्भ किया गया है। अपीलकर्त्ता ने अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–19 /2018–19 आदेश दिनांक–21.12.2018 के विरूद्ध अपील वाद दायर किया है। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने पी0ए0 केश नं0–19/2018–19 के आदेश दिनांक–21.12.2018 के द्वारा चुनू कोड़ा को मौजा–बेलथू का प्रधान नियुक्त किया है।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के न्यायालय के पी0ए0 केश नं0–22/1976–77 आदेश दिनांक–08.03.1978 के द्वारा अपीलकर्त्ता को मौजा–बेलथू एवं लावाभुजौनी का प्रधान नियुक्त किया गया है और वे दोनों मौजा के प्रधानी पद पर शांतिपूर्ण ढंग से काम करते आ रहें हैं। इसी बीच दिनांक–14.06.2012 को उत्तरवादी सं0–1 चुनू कोड़ा के द्वारा मौजा–बेलथू के प्रधानी पद पर नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत आवेदन पत्र दाखिल किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा ने उत्तरवादी चुनू कोड़ा के आवेदन पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गयी। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि मौजा–बेलथू में पूर्व से प्रधान मौजूद है। ध्रुवलाल मोदी मौजा–बेलथू के प्रधान के रूप में कार्य कर रहें हैं एवं पंजी–II में भी ध्रुवलाल मोदी का नाम दर्ज है। अपीलकर्त्ता निम्न न्यायालय के उस वाद में उपस्थित हुए एवं अपने दावा के संबंध में तथ्यों को रखा कि अपीलकर्त्ता मौजा–बेलथू के नियुक्त प्रधान है। उनकी नियुक्ति 1978 ई0 में विधिवत तरीके से अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के द्वारा की गयी है एवं अपत्तिकर्त्ता के बर्खास्तगी के लिए कोई अयोग्यता भी नहीं है और न ही उन्हें

प्रधानी पद से बर्खास्त किया गया है या उन्हें प्रधानी पद से हटाने के लिए आपत्ति किया गया है। उनके नियुक्ति के विरूद्ध उच्चतर न्यायालय में अपील वाद भी दायर नहीं किया गया है। निम्न न्यायालय ने पूर्व नियुक्त प्रधान के रहते हुए उत्तरवादी चुनू कोड़ा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत मौजा–बेलथू का प्रधान नियुक्त किया गया है। निम्न न्यायालय के द्वारा संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के अनुसूची v के नियम 3 का भी पालन नहीं किया गया और न ही आपत्तिकर्त्ता की ओर से निम्न न्यायालय में प्रस्तुत कानूनी पहलूओं पर ही विचार किया गया। इसलिए निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत नहीं है। उन्होंने निम्न न्यायालय के पारित आदेश को निरस्त करते हुए अपील आवेदन को स्वीकृत करने के लिए अनुरोध किया है।

उत्तरवादी सं0 1 के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि अपीलकर्त्ता मौजा–बेलथू एवं लावा भुजौती के प्रधान है। अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि पंजी–II के अनुसार मौजा–बेलथू के प्रधान है। लेकिन अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के जाँच प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि अपीलकर्त्ता धुवलाल गोदी मौजा–बेलथू से दूर दुसरे गाँव में रहते हैं। प्रधान के दूसरे गाँव में रहने के कारण मौजा–बेलथू के रैयत पीड़ित थे एवं मौजा–बेलथू के रैयत उत्तरवादी चुनू कोड़ा जैसे व्यक्ति को मौजा–बेलथू का प्रधान बनाना चाहते थे। इसलिए मौजा के रैयतों ने ग्राम सभा करके जिसमें 226 रैयतों ने अपना हस्ताक्षर/टि0नि0 दिया, आवेदन अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा को दिया गया। रैयतों की ओर से आवेदन में उल्लेख किया गया है कि अपीलकर्त्ता आदतन शराबी है और नशे के कारण मौजा–बेलथू के रैयतों के लिए सही तरीके से कार्य नहीं करते हैं। समय पर रैयतों को खजाना रसीद भी नहीं देते हैं। उनका आगे कथन है कि ग्राम सभा में पारित निर्णय के आलोक में उत्तरवादी ने अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा के नयायालय में आवेदन दाखिल किया। आवेदन के आधार पर अंचल अधिकारी, बोआरीजोर के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। अनुमंडल पदाधिकारी, गोड्डा ने उक्त वाद अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को हस्तान्तरित किया। अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा दोनों पक्ष को सूचना दिया। दोनों पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए। सौलह आना रैयतों को भी सूचना देते हुए दिनांक–28.11.2018 को तिथि निर्धारित किया गया। इसके वाद दूसरे निर्धारित तिथि दिनांक–21.12.2018 को सिर्फ उत्तरवादी चुनू कोड़ा उपस्थित हुए। अपीलकर्त्ता धुवलाल मोदी यह जानते हुए भी कि मौजा

के सभी रैयत उनके विरूद्ध है, उस निर्धारित तिथि को न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए और न ही कारण–पृच्छा दाखिल किया गया। इससे स्पष्ट हुआ कि अपीलकर्त्ता ने अपना दावा छोड़ दिया और इसलिए रैयतों के सहमति के आधार पर अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा के द्वारा उत्तरवादी चुनू कोड़ा को मौजा बेलथू का प्रधान नियुक्त किया गया है। इस प्रकार निम्न न्यायालय के द्वारा किसी तरह का गलत नहीं किया गया है। उन्होंने निम्न न्यायालय के आदेश को बरकरार रखते हुए अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को खारिज करने के लिए अनुरोध किया है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यों, अभिलेखबद्ध कागजात एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि मौजा–बेलथू के गत प्रधान ध्रुवलाल मोदी हैं। उनके नियुक्ति पी0ए0 केश नं0–22/1976–77 के आदेश दिनांक–08.03.1978 के द्वारा की गयी है। उसी बेलथू मौजा के पूर्व प्रधान ध्रुवलाल मोदी को प्रधानी पद से बर्खास्त किये बिना ही चुनू कोड़ा को संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्त किया गया है। संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) अधिनियम 1949 की धारा 5 के तहत नियुक्ति के लिए संथाल परगना काश्तकारी (पूरक) नियमावली 1950 के नियम 3 के अनुसार दो तिहाई रैयतों का राय लिया जाना आवश्यक है। लेकिन निम्न न्यायालय के अभिलेख से स्पष्ट होता है कि निम्न न्यायालय के द्वारा दो तिहाई रैयतों का राय लेकर उत्तरवादी चुनू कोड़ा को नियुक्त नहीं किया गया है। साथ ही नियमानुसार अपीलकर्त्ता प्रधान को प्रधानी पद से हटाया भी नहीं गया है। ऐसी स्थिति में निम्न न्यायालय का पारित आदेश नियम संगत प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के आलोक में अभिलेख पुनर्विचार हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को प्रति प्रेषित किया जाता है एवं अनुमंडल पदाधिकारी, महागामा को आदेश दिया जाता है कि उक्त मामले में उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुनर्विचार करते हुए विधिवत एवं नियम संगत कार्रवाई करते हुए आठ सप्ताह के अंदर कृत कार्रवाई का प्रतिवेदन देगें।

Seen 26-6-21

St. No. 115
02/07.2

लिखाया एवं शुद्ध किया।

25/05/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

25/05/2

उपायुक्त,
गोड्डा।

Digitally signed by BHOR SINGH YADAV
Date: 2022.06.07 11:57:43 +05:30
Location: 192.168.29.32

RMA No. 60-2018-19